

प्रेषक,

डी.सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 14 सितम्बर, 2017

विषय: उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा नयी बसों के क्रय हेतु हुडकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पत्र संख्या- 685 नि0मु0/लेखा/बैंकिंग/2017, दिनांक 23.08.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम के लिए नई बसों के क्रय करने हेतु हुडकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ₹100.30 करोड़ की धनराशि ऋण के रूप में लिये जाने पर ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु ₹2,17,07,741.00/- (रु. दो करोड़ सत्रह लाख सात हजार सात सौ इक्तालीस मात्र) की प्रतिपूर्ति चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) ऋण में ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 29.02.2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही परिवहन निगम से देयक प्राप्त होने पर परिवहन आयुक्त द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान परिवहन निगम को किया जायेगा।
- (ii) इस धनराशि का व्यय उत्तराखण्ड परिवहन निगम के लिए नई बसों के क्रय करने हेतु हुडकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ₹100.30 करोड़ की धनराशि ऋण के रूप में लिये जाने पर ऋण के ब्याज की अदायगी प्रदान किये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपूर्ति हेतु ही किया जायेगा।
- (iii) व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
- (iv) व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी।
- (v) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि निगम को भुगतान किये जाने की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (vi) उक्त धनराशि का व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक 7055-सड़क परिवहन के लिये कर्ज -101-सड़क परिवहन निगम को स्थायी ऋण-मतदेय-05-बसों के क्रय हेतु ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु अनुदान- 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 394/XXVII(2)/2017, दिनांक 11 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी.सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या- 245 (1)/2017/19/IX-2/2015 तददिर्नोकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ए0 एण्ड ई0 ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस-ब-1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
4. कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
8. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून।
9. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव।